



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 4, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंध और विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता.....	2
2. भारत की निर्यात गतिशीलता और जीडीपी वृद्धि में क्षेत्रीय विचलन	4
3. उत्तरी गोशॉक (बाज़): सांस्कृतिक महत्व, स्थिति और संरक्षण ढांचा.....	5
4. लद्दाख जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का विस्तार (Expansion of Autonomous Hill Development Councils across Ladakh Districts).....	7
5. भारत-बेल्जियम संबंध: पारंपरिक व्यापार से परे रणनीतिक विविधीकरण	9
6. मद्रास उच्च न्यायालय में आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल का उपयोग: संवैधानिक और कानूनी ढांचा	10
7. तीव्र होते एल नीनो और वैश्विक जलवायु व्यवधानों पर डब्लूएमओ (WMO) की चेतावनी (WMO Warning on Intensifying El Nino and Global Climate Disruptions)	12
8. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) के खिलाफ तैयारी को मजबूत करना (Strengthening Preparedness Against Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs)).....	14
9. भारत के जीडीपी डेटा की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर बहस (Debating the Credibility and Mechanics of India's GDP Data)	15
10. ऊर्जा प्रशासन में सुधार: एक एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय का मामला (Reforming Energy Governance: The Case for a Unified Ministry of Energy).....	17



1. भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंध और विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संवाद और कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा के साथ द्विपक्षीय चर्चा हेतु कीव का दौरा किया।
- भारत ने यह बात बलपूर्वक कही कि रूस से कच्चे तेल के आयात को रोकने से जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान या अंत नहीं होगा, और भारत ने अपनी व्यावहारिक व हित-संचालित ऊर्जा खरीद रणनीति का बचाव किया।
- नई दिल्ली ने शांति प्रयासों को सुविधाजनक बनाने और सक्रिय शत्रुता को समाप्त करने के लिए हर संभव सहायता देने की अपनी तत्परता व्यक्त की।

- यह राजनयिक जुड़ाव भारत के बहु-संरेखण (multi-alignment) दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसमें यूक्रेन के साथ सक्रिय संचार बनाए रखते हुए रूस के साथ उच्च स्तरीय जुड़ाव जारी रखा गया है, जिसमें एससीओ (SCO) और ब्रिक्स (BRICS) जैसे अंतरराष्ट्रीय शिखरों पर द्विपक्षीय बातचीत शामिल है।
- यूक्रेन ने युद्ध को समाप्त करने की वकालत करने वाले भारत के रुख का स्वागत किया और संकट को हल करने के लिए राजनयिक वार्ताओं में शामिल होने की अपनी तत्परता की पुष्टि की।
- यह यात्रा वैश्विक भू-राजनीति में एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में भारत के विकसित होते रुख को रेखांकित करती है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के साथ ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुलित करता है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** किसी राष्ट्र की मित्र राष्ट्रों या तीसरे पक्ष के दबावों से बाधित हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति के उद्देश्यों को स्वतंत्र रूप से तैयार करने और उन्हें पूरा करने की क्षमता।
- बहु-संरेखण (Multi-Alignment):** एक विदेश नीति रणनीति जहाँ कोई राष्ट्र राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए कई प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों के साथ रचनात्मक, गैर-अनन्य साझेदारी बनाए रखता है।
- संवाद और कूटनीति (Dialogue and Diplomacy):** अंतरराष्ट्रीय ढांचे के तहत शांतिपूर्ण तंत्र जो विवादों को सुलझाने के लिए सशस्त्र संघर्ष के बजाय बातचीत, मध्यस्थता और द्विपक्षीय चर्चाओं पर जोर देते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP), भाग IV के तहत, अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का जनादेश देता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर ढांचा:** भारत की विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(3) और अनुच्छेद 2(4) के अनुरूप है, जो सदस्य राज्यों को शांतिपूर्ण साधनों से अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने और किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या बल प्रयोग से परहेज करने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

कीव में भारत का राजनयिक जुड़ाव रणनीतिक स्वायत्तता के सूक्ष्म अंशांकन (calibration) को दर्शाता है। शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के लिए सैद्धांतिक वकालत के साथ अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुलित करके, भारत एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय अभिनेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है जो एकतरफा आर्थिक उपायों के बजाय संवाद के माध्यम से वैश्विक स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।

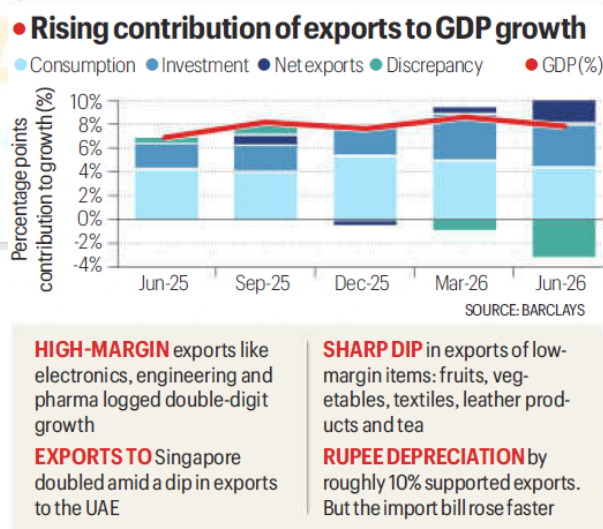
यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** भारत और उसका पड़ोस-संबंध, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान और मंच।
- प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** DPSP अनुच्छेद 51 के प्रावधान, शंघाई सहयोग संगठन (SCO), ब्रिक्स (BRICS) समूह, और भारत के विदेश नीति ढांचे के प्रमुख सिद्धांत।

2. भारत की निर्यात गतिशीलता और जीडीपी वृद्धि में क्षेत्रीय विचलन

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- जून 2026 में भारत का सामान निर्यात रिकॉर्ड 44.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे कुल अप्रैल-जून तिमाही का निर्यात 129.32 अरब डॉलर (साल-दर-साल 15% अधिक) हो गया और जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.8% हो गई।
- शुद्ध निर्यात ने पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि में 3 प्रतिशत अंक जोड़े, जिसे बढ़ती निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, गैर-पेट्रोलियम/गैर-रत्न विकास (12% से 99.04 अरब डॉलर) और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण वास्तविक आयात में गिरावट से समर्थन मिला।
- एक स्पष्ट क्षेत्रीय विभाजन मौजूद है: उच्च-मार्जिन वाले क्षेत्रों में मजबूत विस्तार हुआ (इंजीनियरिंग सामान 18.1% बढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स 22.6%, और फार्मास्यूटिकल्स 6.8%), जबकि कम-मार्जिन वाले, श्रम-गहन क्षेत्रों में भारी गिरावट आई (चाय 17.5% नीचे, वस्त्र 12.4%, चमड़ा 4.7%, फल और सब्जियां 10.3%, और सिरेमिक 25%)।
- वैश्विक माल ढुलाई दरों में वृद्धि (प्रमुख बाजारों में 10 गुना तक), पश्चिम एशिया संघर्ष के व्यवधानों और उच्च रसद लागत ने कम मार्जिन वाले निर्यातकों के लाभ मार्जिन को प्रभावित किया, जबकि उच्च-मार्जिन वाले क्षेत्रों ने रसद के झटकों को अधिक प्रभावी ढंग से सहन किया।
- व्यापार विविधीकरण ने बाहरी झटकों को कम किया, जिसे ऑस्ट्रेलिया (निर्यात में 25% की वृद्धि) और यूके (11% की वृद्धि) के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) द्वारा उजागर किया गया, साथ ही सिंगापुर को शिपमेंट में 101% की उछाल (6.5 अरब डॉलर) ने यूएई के निर्यात में 11% की गिरावट की भरपाई की।
- मुद्रा की गतिशीलता ने मिश्रित परिणाम दिए: भारतीय रुपये के मूल्य में लगभग 10% की वार्षिक गिरावट (जून के अंत में 94.7/\$1) ने निर्यात के लिए मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई, लेकिन कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट के आयात बिल को बढ़ा दिया।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- शुद्ध निर्यात (Net Exports):** एक विशिष्ट अवधि में किसी राष्ट्र के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में से उसके कुल आयात को घटाकर प्राप्त मौद्रिक मूल्य, जो व्यय-आधारित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करता है।
- श्रम-गहन निर्यात (Labor-Intensive Exports):** वे निर्यात वस्तुएं (जैसे वस्त्र, चमड़ा और कृषि) जिनका उत्पादन स्वचालित पूंजी के बजाय मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है, और जो रसद लागत व कम लाभ मार्जिन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
- व्यापार विविधीकरण (Trade Diversification):** विशिष्ट भागीदार अर्थव्यवस्थाओं या अस्थिर वैश्विक व्यापार मार्गों पर निर्भरता को कम करने के लिए निर्यात बाजारों और उत्पाद श्रेणियों का विस्तार करने के उद्देश्य से बनाई गई एक नीतिगत रणनीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 307:** देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त करने हेतु संसद को अधिकृत करता है।
- विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** प्राथमिक वैधानिक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो केंद्र सरकार को मर्चेन्डाइज और सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाने, विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति (FTP) तैयार करने और अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
- सातवीं अनुसूची, सूची I (संघ सूची), प्रविष्टि 41:** विदेशी व्यापार, सीमा शुल्क सीमाओं के पार आयात और निर्यात, और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक जुड़ाव पर संसद को विशेष विधायी शक्ति प्रदान करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हालांकि भारत की हेडलाइन जीडीपी वृद्धि व्यापार समझौतों और उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण द्वारा संचालित मजबूत निर्यात प्रदर्शन को दर्शाती है, लेकिन कम-मार्जिन वाले, श्रम-गहन क्षेत्रों में तेज गिरावट व्यापक-आधारित रोजगार और आय सृजन के लिए संरचनात्मक जोखिम पैदा करती है। दीर्घकालिक निर्यात गति को बनाए रखने के लिए आपूर्ति-श्रृंखला के व्यवधानों और संरचनात्मक रसद बाधाओं को दूर करने हेतु लक्षित नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक वृद्धि पर इनका प्रभाव; विदेश व्यापार नीति।
- प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** भुगतान संतुलन (BoP), जीडीपी गणना के घटक, व्यापार समझौते (FTAs), विदेशी मुद्रा दर प्रणाली, और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के जनादेश।

3. उत्तरी गोशॉक (बाज़): सांस्कृतिक महत्व, स्थिति और संरक्षण ढांचा

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- पंजाब के वन विभाग ने अपने आधिकारिक राज्य पक्षी, उत्तरी गोशॉक (Accipiter gentilis), जिसे स्थानीय रूप से बाज़ कहा जाता है, का पता लगाने के लिए 2018 और 2025 में आधिकारिक खोज अभियान चलाए, लेकिन इसका कोई सत्यापित दर्शन (sighting) नहीं हुआ।
- यह पक्षी सिख इतिहास और विरासत में केंद्रीय रूप से बसा हुआ है, जिसे दसवीं सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के साथ इसके संबंध के लिए श्रद्धेय माना जाता है, जिन्हें पारंपरिक रूप से बाजवाला (बाज़ का स्वामी) के रूप में याद किया जाता है।
- बाज़ संप्रभुता, आध्यात्मिक अधिकार और खालसा पंथ की निडर योद्धा भावना का प्रतीक है।
- पंजाब चुनाव अभियानों के दौरान हालिया राजनीतिक आख्यानों ने इस शिकारी पक्षी के दिखने के आसपास सार्वजनिक चर्चा को फिर से जीवित कर दिया, जिससे इसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति को नेतृत्व और दिव्य आशीर्वाद से जोड़ा गया।
- पक्षी विज्ञान (Ornithological) अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यह प्रजाति मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाली है और पंजाब के मैदानों की ओर प्रवास नहीं करती है, जिससे इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बनी रहने वाली जंगली आबादी बेहद दुर्लभ हो जाती है।
- वैश्विक आबादी में गिरावट का कारण बनने वाले प्रमुख मानवजनित खतरों में आवास विनाश, वनों की कटाई, भारी धातु प्रदूषण, बाज पालन (falconry) के लिए घोंसले लूटना और अवैध शिकार शामिल हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- उत्तरी गोशॉक (Accipiter gentilis):** एक्सीपिट्रिडे (Accipitridae) परिवार से संबंधित एक मध्यम-बड़ा, शक्तिशाली शिकारी पक्षी, जिसकी विशेषता छोटे, चौड़े पंख, घने जंगलों में पैतरेबाज़ी के लिए एक लंबी कील के आकार की पूंछ और कम दूरी की तीव्र शिकार क्षमताएं हैं।
- राज्य पक्षी पदनाम (State Bird Designation):** वन्यजीव संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देने और स्वदेशी जैव विविधता या सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा घोषित एक आधिकारिक प्रतीक।
- एवियन एपेक्स प्रेडेटर (Avian Apex Predator):** पारिस्थितिक खाद्य जाल के शीर्ष पर स्थित एक पक्षी प्रजाति, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और अखंडता के लिए एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972:** भारत में इसे कानूनी संरक्षण का दर्जा दिया गया है; बाज़ और शिकरा अनुसूची I/अनुसूची II ढांचे के तहत सूचीबद्ध हैं जो पकड़ने, कब्जे या वाणिज्यिक व्यापार को विनियमित करते हैं।
- आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट स्थिति:** उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में इसके व्यापक वैश्विक वितरण के कारण प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा वैश्विक स्तर पर 'कम से कम चिंताजनक' (Least Concern - LC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- साइटस (CITES) विनियम:** अत्यधिक शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करते हुए, जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट II के तहत सूचीबद्ध।

- संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 48A (DPSP) राज्य को वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है; अनुच्छेद 51A(g) प्राकृतिक पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तरी गोशॉक भारत में सांस्कृतिक श्रद्धा और संरक्षण चुनौतियों के एक अनूठे संगम का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि पंजाब के ऐतिहासिक लोकाचार में इसका प्रतीकात्मक महत्व मजबूत बना हुआ है, प्रभावी संरक्षण के लिए राजनीतिक पौराणिक कथाओं के बजाय वैज्ञानिक रूप से आधारित आवास प्रबंधन, राष्ट्रीय वन्यजीव कानून के तहत संरक्षण और संरचित जैव विविधता सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी - जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) 1972, आईयूसीएन (IUCN) रेड लिस्ट स्थिति, और साइट्स (CITES) ढांचा।
- प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** Accipiter gentilis की पहचान विशेषताएं, भारतीय राज्यों के राज्य प्रतीक, अनुच्छेद 48A और 51A(g) के प्रावधान, और संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूचियां।

4. लद्दाख जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का विस्तार (Expansion of Autonomous Hill Development Councils across Ladakh Districts)

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सहभागी ज़मीनी शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) की स्थापना करने वाली अधिसूचनाओं को मंजूरी दी।
- अप्रैल 2026 में लेह और कारगिल के साथ-साथ पांच नए जिलों (शाम, नुब्रा, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास) के निर्माण के बाद, LAHDC ढांचे को अब पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विस्तारित कर दिया गया है।
- 1997 के LAHDC अधिनियम के तहत स्थापित, प्रत्येक परिषद में 26 प्रत्यक्ष रूप से चुने गए पार्षद होंगे जो आपस में एक मुख्य कार्यकारी पार्षद का चुनाव करेंगे।
- इन परिषदों में निहित कार्यकारी शक्तियों में स्थानीय भूमि आवंटन, जिला विकास योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय सड़क परिवहन, शिक्षा और पर्यटन शामिल हैं।
- यह निर्णय तब आया है जब लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) सहित प्रतिनिधि नागरिक समाज समूह, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर गृह मंत्रालय के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं।
- नवगठित परिषदों के चुनाव LAHDC अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित किए जाएंगे, जिससे अक्टूबर 2025 में लेह परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्पन्न प्रशासनिक अंतर को दूर किया जाएगा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (AHDC):** भौगोलिक रूप से दूरस्थ, सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रबंधित करने के लिए बनाई गई एक वैधानिक स्थानीय स्व-शासी संस्था।
- **लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization):** केंद्रीय अधिकारियों से जमीनी स्तर के नागरिकों के करीब चुने हुए स्थानीय निकायों को राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने की शक्तियों को सौंपने (devolving) की प्रक्रिया।
- **बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory without Legislature):** राज्य विधानसभा के बिना नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रभाग।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997:** राज्य वैधानिक अधिनियम (यूटी तक विस्तारित) जो आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से जिला स्तरीय स्वायत्त परिषदों को बनाने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:** अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद लद्दाख को बिना विधायिका वाले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तैयार किया गया।
- **छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)):** संवैधानिक ढांचा जो निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों को विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करता है, जिसकी स्थानीय लद्दाखी समूहों द्वारा भारी मांग की जा रही है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सभी सात जिलों में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का विस्तार करना बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह विकेंद्रीकरण क्षेत्रीय नियोजन को बढ़ाता है, फिर भी दीर्घकालिक प्रशासनिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज की व्यापक संवैधानिक मांगों के साथ वैधानिक परिषद के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** संघवाद, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ।
- **प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** LAHDC अधिनियम 1997 के प्रावधान, छठी अनुसूची बनाम पांचवीं अनुसूची के अंतर, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, और गैर-विधायी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय स्व-शासन संरचनाएं।

5. भारत-बेल्जियम संबंध: पारंपरिक व्यापार से परे रणनीतिक विविधीकरण

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट दे वेवर ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग को एक प्राथमिक स्तंभ के रूप में ऊपर उठाने पर सहमत हुए, तथा संयुक्त अनुसंधान, सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सह-विकास/सह-उत्पादन को सुगम बनाने के लिए एक आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए।
- दो-तरफा पूंजी प्रवाह को समर्थन देने के लिए, बेल्जियम के संप्रभु धन कोष (SFPIM) और भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) के बीच संस्थागत समन्वय को औपचारिक रूप देने के साथ-साथ एक 'इन्वेस्टमेंट फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म' (Investment Fast-Track Mechanism) स्थापित किया गया।
- द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव पारंपरिक एंटवर्प-मुंबई हीरा धुरी से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और फिनटेक समन्वय सहित उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में विस्तारित हुआ।
- संगठित अपराध, साइबर अपराध और भगोड़ों का पता लगाने से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और बेल्जियम फेडरल पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से कानून प्रवर्तन में रणनीतिक सहयोग को गहरा किया गया।
- दोनों नेताओं ने "रणनीतिक खुलेपन" (strategic openness) पर जोर दिया, आर्थिक संरक्षणवाद और अनुभवहीन भू-राजनीतिक निर्भरता दोनों को खारिज कर दिया, साथ ही अबाधित समुद्री जहाजरानी और पश्चिम एशिया तथा यूक्रेन में क्षेत्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- रणनीतिक खुलापन (Strategic Openness):** एक विदेशी आर्थिक सिद्धांत जो खुले, प्रतिस्पर्धी और नियम-आधारित व्यापार भागीदारों को बनाए रखते हुए संरक्षणवाद और अत्यधिक एकल-स्रोत आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता को खारिज करता है।
- इन्वेस्टमेंट फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म (Investment Fast-Track Mechanism):** दो राष्ट्रों के बीच नियामक बाधाओं को दूर करने, स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई एक समर्पित द्विपक्षीय प्रशासनिक संरचना।
- रक्षा सह-विकास और सह-उत्पादन (Defence Co-Development and Co-Production):** क्रेता-विक्रेता संबंधों के बजाय संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उपकरणों के घरेलू उत्पादन को शामिल करने वाला एक सहयोगात्मक सैन्य विनिर्माण ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) के तहत, अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का जनादेश देता है।
- **संघ सूची (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 10 और प्रविष्टि 14):** विदेश मामलों तथा विदेशी देशों के साथ संधियों व समझौतों को करने पर केंद्रीय संसद को विशेष विधायी और कार्यकारी शक्तियां प्रदान करती है।
- **भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी ढांचा:** भारत-यूरोपीय संघ व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) वार्ताओं और भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी के व्यापक कानूनी मैट्रिक्स के भीतर काम करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत-बेल्जियम संबंधों का उत्थान हीरा-केंद्रित आर्थिक संबंधों से एक बहुआयामी रणनीतिक गठबंधन में परिवर्तन का प्रतीक है। रक्षा सह-उत्पादन को संस्थागत रूप देकर, निवेश में तेजी लाकर और तकनीक सहयोग का विस्तार करके, दोनों देश व्यापक यूरोपीय संघ के ढांचे के भीतर आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को बढ़ाते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** भारत और उसका पड़ोस-संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, भारत पर विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** अनुच्छेद 51 (DPSP प्रावधान), भारत-यूरोपीय संघ व्यापार तंत्र, NIAF वास्तुकला, और द्विपक्षीय कानून प्रवर्तन ढांचा (CBI-इंटरपोल/बेल्जियम पुलिस संबंध)।

6. मद्रास उच्च न्यायालय में आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल का उपयोग: संवैधानिक और कानूनी ढांचा

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से अंग्रेजी के साथ-साथ मद्रास उच्च न्यायालय की प्राथमिक भाषा के रूप में तमिल को मंजूरी देने का आग्रह किया गया।
- इस प्रस्ताव में याचिकाओं, दस्तावेजों और तर्कों को तमिल में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई है, साथ ही न्यायिक कर्मियों के कानूनी प्रशिक्षण के साथ तमिल में आधिकारिक निर्णय, डिक्री और अदालती आदेश जारी करने की अनुमति मांगी गई है।
- विधानसभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2006 में ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया था, जो अक्टूबर 2012 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ (Full Court) द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद रुक गया था।
- राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि तमिल को अपनाना यह सुनिश्चित करने का एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि नागरिकों को उनकी मातृभाषा में न्याय सुलभ और समझने योग्य हो।

- हालिया तकनीकी प्रगति, जिसमें एआई-आधारित वास्तविक समय अनुवाद (real-time translation), कानूनी डेटाबेस और डिजिटल अदालतें शामिल हैं, को द्विभाषी अदालती कार्यवाही के लिए व्यावहारिक सक्षमकर्ता के रूप में रेखांकित किया गया था।
- तमिलनाडु आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1956 के तहत तमिल को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, और इसे अक्टूबर 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा (Classical Language) के रूप में मान्यता दी गई थी।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

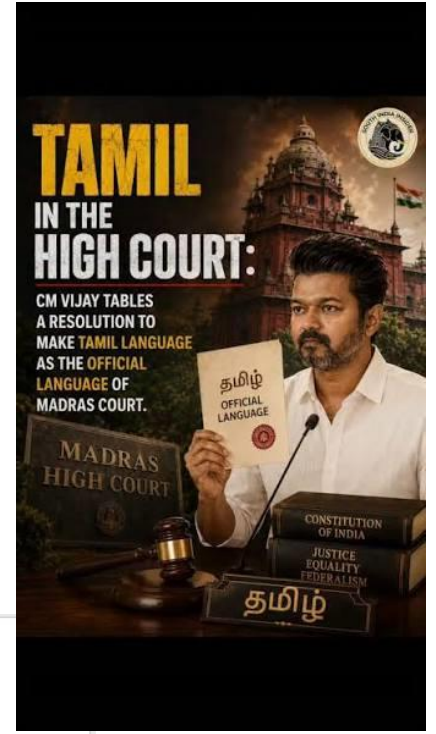
- न्याय की भाषा (Language of Justice):** यह सिद्धांत कि निष्पक्ष सुनवाई और संवैधानिक उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्यवाही, कानून और न्यायिक उपचार वादी जनता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सुलभ होने चाहिए।
- शास्त्रीय भाषा (Classical Language):** भारत सरकार द्वारा उन भाषाओं को दिया गया एक दर्जा जो उच्च प्राचीनता, प्राचीन साहित्य का एक बहुमूल्य संग्रह, एक मूल साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक निरंतरता रखती हैं।
- द्विभाषी न्यायिक प्रणाली (Bilingual Judicial System):** अदालती दलीलों, मौखिक तर्कों और न्यायिक घोषणाओं के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा के समानांतर उपयोग की अनुमति देने वाला एक प्रशासनिक ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348(1):** यह अनिवार्य करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348(2):** राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत करने की शक्ति देता है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7:** राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के लिए (अंग्रेजी के अलावा) राज्य की आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत करने की अनुमति देती है, बशर्ते उनके साथ एक अंग्रेजी अनुवाद संलग्न हो।
- तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम, 1956 (धाराएं 4-A और 4-B):** उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल और आपराधिक अदालतों में साक्ष्य दर्ज करने और निर्णय लिखने के लिए तमिल के उपयोग को अनिवार्य करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

राज्य के उच्च न्यायालयों में भाषा के चयन पर पुनर्विचार करना पूरे भारत में क्षेत्रीय भाषाई पहचान और न्यायिक एकरूपता के बीच संतुलन को रेखांकित करता है। यद्यपि प्रशासनिक और तकनीकी उपकरण अब वास्तविक समय अनुवाद की सुविधा प्रदान करते हैं, फिर भी पूर्ण कार्यान्वयन प्राप्त करने के लिए राज्य कार्यपालिका, केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका के बीच संरचित समन्वय की आवश्यकता है।



यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II:** भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना; न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
- प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** अनुच्छेद 348(1) और 348(2) प्रावधान, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7, शास्त्रीय भाषा के दर्जे के मानदंड, और निचली अदालतों बनाम उच्च न्यायालयों में भाषा के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियम।

7. तीव्र होते एल नीनो और वैश्विक जलवायु व्यवधानों पर डब्ल्यूएमओ (WMO) की

चेतावनी (WMO Warning on Intensifying El Nino and Global Climate Disruptions)

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने फरवरी 2027 तक बने रहने की लगभग 100% संभावना के साथ एक आसन्न "बहुत मजबूत" एल नीनो (El Nino) घटना की चेतावनी दी, जो वैश्विक तापमान और वर्षा के पैटर्न को बदल देगी।
- मध्य-पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र (नीनो 3.4 क्षेत्र) में समुद्र की सतह के तापमान की विसंगतियां मई-जुलाई के दौरान सामान्य से 1.5°C अधिक हो गईं और जुलाई में 2.0°C से अधिक हो गईं, जिससे दुनिया भर में अत्यधिक लू (heatwaves), सूखा और बाढ़ आई।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पुष्टि की कि अगस्त के अंत में मानसून की बारिश को एल नीनो के दबाव का सामना करना पड़ा, हालांकि समग्र मौसमी बारिश बड़े पैमाने पर घाटे से बच गई क्योंकि मानसून का तीन-चौथाई हिस्सा समाप्त हो चुका था।
- इंडियन ओशन डिपोल (IOD) के एक सकारात्मक चरण के सितंबर-नवंबर के दौरान 0.9°C के मौसमी औसत मूल्य के साथ विकसित होने का पूर्वानुमान है, जो दक्षिण एशिया पर एल नीनो के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक संभावित प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- अभूतपूर्व उप-सतह महासागरीय तापन (स्थानों पर औसत से 8°C से अधिक) निरंतर वायुमंडलीय प्रतिक्रिया का संकेत देता है, जिसने डब्ल्यूएमओ को अपने 50 साल के इतिहास में राष्ट्रीय जल विज्ञान और मौसम विज्ञान सेवाओं का सबसे बड़ा वैश्विक लामबंदी करने के लिए प्रेरित किया।
- जारी जलवायु विसंगति कृषि, जल सुरक्षा और ऊर्जा अवसंरचना को खतरे में डालती है, जो पूर्व चेतावनी प्रणालियों और स्थानीय आपदा तैयारियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **एल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO):** एक आवधिक महासागर-वायुमंडल जलवायु घटना जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म महासागरीय जल एकत्र होता है, जिससे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण बाधित होता है।

- **इंडियन ओशन डिपोल (IOD):** पश्चिमी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर (अरब सागर) और इंडोनेशिया के दक्षिण में पूर्वी उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के बीच तापमान का अंतर, जहाँ एक सकारात्मक चरण गर्म पश्चिमी पानी का संकेत देता है।

- **नीनो 3.4 सूचकांक (Nino 3.4 Index):** 5°N-5°S अक्षांश और 120°W-170°W देशांतर से घिरे भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान की विसंगतियों को ट्रैक करने वाला एक मानक मौसम संबंधी मीट्रिक।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** गंभीर सूखे, लू और बाढ़ जैसी जलवायु-प्रेरित खतरों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के माध्यम से वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** एक व्यापक नीतिगत ढांचा जिसमें लचीला बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट मिशन शामिल हैं।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत, राज्य को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा राष्ट्रीय पारिस्थितिक सुरक्षा की रक्षा करने का दायित्व सौंपता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

एक लंबे, उच्च-तीव्रता वाले एल नीनो का पूर्वानुमान महासागरीय तापन के प्रति वैश्विक खाद्य प्रणालियों और मौसम प्रणालियों की संवेदनशीलता को उजागर करता है। यद्यपि विकसित हो रहा सकारात्मक इंडियन ओशन डिपोल अस्थायी रूप से दक्षिण एशियाई मानसून की गतिशीलता को संभाल सकता है, फिर भी दीर्घकालिक लचीलेपन के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि, अनुकूली जल प्रबंधन और सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन; आपदा और आपदा प्रबंधन; मुख्य फसलें और फसल पैटर्न।
- **प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** ENSO और IOD का तंत्र, डब्ल्यूएमओ जनादेश, आईएमडी पूर्वानुमान मॉडल, DPSP अनुच्छेद 48A, और आपदा प्रबंधन संस्थागत संरचनाएं।

8. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) के खिलाफ तैयारी को मजबूत करना (Strengthening Preparedness Against Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs))

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों—उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और जम्मू एवं कश्मीर—को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) और हिमस्खलन के खिलाफ तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
- गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रतिक्रिया-आधारित योजना (reactive response-based planning) के बजाय सक्रिय, निवारक शमन (proactive, preventive mitigation) और समुदाय-स्तरीय आपदा तैयारी की ओर एक रणनीतिक बदलाव का आग्रह किया।
- मुख्य फोकस क्षेत्रों में मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS) को तैनात करना, उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निरंतर निगरानी, प्रवाह मार्गों का मानचित्रण, संरचित निकासी योजना तैयार करना और समय पर अलर्ट प्रसार सुनिश्चित करना शामिल है।
- गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, जिला प्रशासनों और केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), और रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) जैसी विशेष वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच निर्बाध अंतर-एजेंसी समन्वय पर जोर दिया।
- हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से आपातकालीन तैयारी योजनाओं की समीक्षा करने, पूर्व चेतावनी अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करने और अत्यधिक जलवायु घटनाओं से पहले निवारक सुधारात्मक उपायों को निष्पादित करने की सलाह दी गई थी।
- केंद्र ने राज्यों को जीवन और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए 2024 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत GLOF शमन परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF):** मोरेन बांध के टूटने, बर्फ-हिमस्खलन के प्रभाव, या भारी वर्षा के कारण हिमनद झील से संचित जल का विनाशकारी रिसाव, जिससे निचले इलाकों में उच्च-वेग वाली अचानक बाढ़ (flash floods) आती है।
- मोरेन बांध (Moraine Dam):** पीछे हटते हिमनद द्वारा जमा की गई ढीली मिट्टी, चट्टानी मलबे और बर्फ तटबंध जो पिघले पानी को रोककर एक उच्च ऊंचाई वाली हिमनद झील का निर्माण करते हैं।
- निवारक शमन (Preventive Mitigation):** आपदा-पूर्व जोखिम न्यूनीकरण उपाय—जैसे कि झील के पानी को निकालना (siphoning), कृत्रिम चैनल बनाना, और पूर्व चेतावनी प्रणाली—जो संरचनात्मक संवेदनशीलता और जीवन के नुकसान को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** संस्थागत ढांचा जो सक्रिय आपदा शमन, क्षमता निर्माण और प्रतिक्रिया रणनीतियों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) की स्थापना करता है।

- GLOFs के प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (NDMA):** तकनीकी ढांचा जो जोखिम क्षेत्रीकरण, निरंतर उपग्रह निगरानी, वास्तविक समय जल विज्ञान निगरानी, और नियंत्रित झील जल निकासी तंत्र की सिफारिश करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** यह अनिवार्य करता है कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश की पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन के अधिकार को शामिल करता है, जिसमें पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षा और प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का राज्य का कर्तव्य शामिल है।

निष्कर्ष (Conclusion)

नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में GLOFs के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए आपदा के बाद की राहत से निरंतर निगरानी और स्थानीयकृत जोखिम न्यूनीकरण की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलवायु-प्रेरित आपदा जोखिमों को कम करने के लिए स्वीकृत शमन परियोजनाओं का समय पर निष्पादन, वास्तविक समय का वैज्ञानिक अवलोकन और सामुदायिक एकीकरण महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** आपदा और आपदा प्रबंधन; पर्यावरण प्रभाव आकलन; संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।
- प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** GLOFs पर NDMA दिशानिर्देश, DGRE, CWC और IMD के वैज्ञानिक कार्य, मोरेन बांध टूटने का तंत्र, और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधान।

9. भारत के जीडीपी डेटा की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर बहस (Debating the Credibility and Mechanics of India's GDP Data)

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में वास्तविक जीडीपी (Real GDP) में 7.8% की वृद्धि हुई और नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) में 10.3% का विस्तार हुआ, जिसका तात्पर्य 2.3% का निम्न जीडीपी डिफ्लेटर (GDP deflator) है, जिसने डेटा की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी।
- हालिया राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला (national accounts series) में कृषि और विनिर्माण के लिए डबल डिफ्लेशन (double deflation) में परिवर्तन सहित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा किए गए कार्यप्रणाली अपडेट, सिंगल डिफ्लेशन से जुड़ी ऐतिहासिक आलोचनाओं का समाधान करते हैं।
- निम्न जीडीपी डिफ्लेटर (2.3%) आयात कीमतों में 32% की वृद्धि—जो नकारात्मक चिह्न के साथ जीडीपी गणना में प्रवेश करती है—के साथ-साथ ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती और विस्तारित उर्वरक सब्सिडी द्वारा संचालित है।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) साल-दर-साल 12% के करीब बढ़ा, जिससे जीडीपी में निवेश की हिस्सेदारी 34% से अधिक हो गई, जिसे 19% बैंक ऋण वृद्धि का समर्थन मिला।

- कर में कटौती के बाद वास्तविक घरेलू उपभोग में 8.2% का विस्तार हुआ, जिससे उपभोग डिफ्लेटर गिरकर 0.4% हो गया, जो उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों के हस्तांतरण (pass-through benefits) को दर्शाता है।
- मजबूत अल्पकालिक प्रतिशत वृद्धि के बावजूद, व्यापार, कारक बाजारों (factor markets) और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) ढांचे में दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार डॉलर-मूल्यवर्ग प्रति व्यक्ति आय वृद्धि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- जीडीपी डिफ्लेटर (GDP Deflator):** मुद्रास्फीति का एक व्यापक उपाय जिसकी गणना वास्तविक जीडीपी के साथ नाममात्र जीडीपी के अनुपात को 100 से गुणा करके की जाती है, जो सभी घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य परिवर्तनों को कैचर करता है।
- डबल डिफ्लेशन (Double Deflation):** एक लेखांकन विधि जहाँ सकल उत्पादन (gross output) और मध्यवर्ती इनपुट (intermediate inputs) को कृत्रिम मार्जिन-आधारित वृद्धि मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए उनके संबंधित विशिष्ट मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके अलग से डिफ्लेट (deflate) किया जाता है।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation - GFCF):** व्यय-पक्षीय जीडीपी का एक घटक जो अचल संपत्तियों में शुद्ध वृद्धि को मापता है, जो अर्थव्यवस्था में उत्पादक पूंजी निवेश के प्राथमिक संकेतक के रूप में कार्य करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008:** पूरे भारत में प्रशासनिक, आर्थिक और औद्योगिक डेटा एकत्र करने के लिए कानूनी जनादेश प्रदान करने वाला प्राथमिक वैधानिक अधिनियम।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) ढांचा:** सांख्यिकीय मानकों, कार्यप्रणाली और डेटा अखंडता की निगरानी के लिए रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 280:** राजकोषीय रिपोर्टिंग, बजटीय आवंटन और राजस्व वितरण तंत्र को रेखांकित करता है जो समष्टि आर्थिक (macroeconomic) जीडीपी अनुमानों पर निर्भर करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

7.8% का जीडीपी वृद्धि आंकड़ा कृत्रिम डेटा मूल्यवृद्धि के बजाय सांख्यिकीय कार्यप्रणाली में संरचनात्मक सुधारों, विशेष रूप से डबल डिफ्लेशन, को दर्शाता है। हालांकि, हेडलाइन वृद्धि को दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में बदलने के लिए मौलिक निवेश बाधाओं को दूर करने और गहरे कारक-बाजार सुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास से संबंधित मुद्दे; राष्ट्रीय आय लेखांकन अवधारणाएं (वास्तविक बनाम नाममात्र जीडीपी, डिफ्लेटर); पूंजी निर्माण और निवेश मॉडल।
- प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** जीडीपी डिफ्लेटर की गणना, सिंगल बनाम डबल डिफ्लेशन, MoSPI प्रकाशन निकाय, उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI), और व्यय-पक्षीय जीडीपी के घटक।

10. ऊर्जा प्रशासन में सुधार: एक एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय का मामला (Reforming Energy Governance: The Case for a Unified Ministry of Energy)

मुख्य अंश एवं सार (Key Highlights & Summary)

- भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए अकेले बिजली उत्पादन क्षमता से ध्यान हटाकर प्रणाली-व्यापी अनुकूलन, ग्रिड संतुलन और विविध ईंधन स्रोतों के एकीकरण पर केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- वर्तमान प्रशासनिक ढांचा पांच अलग-अलग मंत्रालयों में विभाजित है: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, और परमाणु ऊर्जा (प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत)।
- अंतर-मंत्रालयी विखंडन से गंभीर कार्यान्वयन विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे ग्रिड पारेषण (transmission) की तैयारी से पहले चालू की गई नवीकरणीय परियोजनाएं या सुनिश्चित ईंधन आपूर्ति के बिना बनाए गए गैस-आधारित संयंत्र।
- आधुनिक ग्रिड स्थिरता परिवर्तनीय भूमिकाओं पर निर्भर करती है: सौर और पवन ऊर्जा रुक-रुक कर थोक बिजली प्रदान करती है, परमाणु ऊर्जा स्थिर बेसलोड प्रदान करती है, और जलविद्युत, बैटरी, या गैस टरबाइन पीक लोड और भंडारण संतुलन प्रदान करते हैं।
- अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और सऊदी अरब सहित वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने रणनीति, योजना और निवेश निर्णयों को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत ऊर्जा मंत्रालयों के तहत ऊर्जा प्रशासन को समेकित किया है।
- एक एकल एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय बनाने से व्यक्तिगत ईंधन वर्टिकल के लिए विशेष तकनीकी विभागों को बनाए रखते हुए रणनीतिक नीति और बुनियादी ढांचे के नियोजन को केंद्रीकृत किया जा सकेगा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- ऊर्जा प्रशासन का विखंडन (Energy Governance Fragmentation):** एक प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ विभिन्न ऊर्जा स्रोतों (कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल, परमाणु, बिजली) को अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा शासित किया जाता है, जिससे अलग-थलग निर्णय लेने और नीतिगत संघर्ष की स्थिति पैदा होती है।
- बेसलोड पावर (Baseload Power):** 24 घंटे की अवधि में आवश्यक निरंतर विद्युत मांग का न्यूनतम स्तर, जो आमतौर पर परमाणु या तापीय संयंत्रों जैसे स्थिर, गैर-अस्थिर बिजली स्रोतों द्वारा आपूर्ति की जाती है।
- ग्रिड संतुलन (Grid Balancing):** लचीले उत्पादन, भंडारण और मांग-प्रतिक्रिया तंत्र का उपयोग करके वास्तविक समय में बिजली की आपूर्ति को में उतार-चढ़ाव वाली मांग के साथ लगातार मिलाने का परिचालन अभ्यास।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- सातवीं अनुसूची (सूची III - समवर्ती सूची, प्रविष्टि 38):** बिजली क्षेत्र के सुधारों में संघीय समन्वय को सक्षम करते हुए, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को 'विद्युत' पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

- **सातवीं अनुसूची (सूची I - संघ सूची, प्रविष्टि 53 और प्रविष्टि 54):** अंतर-राज्यीय विद्युत, तेल क्षेत्रों, पेट्रोलियम, खनिज संसाधनों और परमाणु ऊर्जा (प्रविष्टि 6) के विनियमन और विकास पर संसद में विशेष विधायी शक्ति निहित करती है।
- **विद्युत अधिनियम, 2003:** राष्ट्रीय विद्युत क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और नियामक देखरेख (CERC/SERCs) को नियंत्रित करने वाला मुख्य वैधानिक ढांचा।
- **भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961:** संविधान के अनुच्छेद 77(3) के तहत विभिन्न मंत्रालयों में कार्य आवंटन और परिचालन जनादेश को परिभाषित करने वाला कानूनी ढांचा।

निष्कर्ष (Conclusion)

चूंकि भारत अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हुए 2026-2070 की अवधि में नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बना रहा है, विखंडित ऊर्जा प्रशासन एक बाधा बना हुआ है। एक एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना से संसाधन आवंटन का अनुकूलन होगा, आपूर्ति श्रृंखला सामंजस्य में सुधार होगा, और सामंजस्यपूर्ण, प्रणाली-व्यापी प्रशासन के माध्यम से दीर्घकालिक राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II:** विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; सरकारी संरचना और संस्थागत सुधार; कार्य आवंटन नियम।
- **जीएस पेपर III:** बुनियादी ढांचा: ऊर्जा; औद्योगिक नीति में परिवर्तन और विकास पर प्रभाव; नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण और ग्रिड प्रबंधन।
- **प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान (Prelims Focus):** समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38, विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान, CERC/CEA की भूमिकाएं, और संस्थागत ऊर्जा प्रशासन में वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास।

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

SEPTEMBER 4, 2026

